



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243986
CG-DL-E-01032023-243986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 907]
No. 907]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

का.आ. 944(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी-नुमालीगढ़-दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : लखीमपुर				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर लखीमपुर	तेलाही	१ नं मुडोइबिल	152	00	12	66
			153	00	12	23
			160	00	01	22
			87	00	45	62
			161	00	16	99
			88	00	02	16
			41	00	03	36
			38	00	00	36
			36	00	36	58
			37	00	09	63
			64	00	19	97
			56	00	25	79
			84	00	01	43
			75	00	10	05
			78	00	01	56
			74	00	01	72
			65	00	00	41
			55	00	12	16
			57	00	06	90
			59	00	09	49
			63	00	02	87
			62	00	03	59
			61	00	05	54
			60	00	16	84
			7	00	06	88
			39	00	03	06
			45	00	00	10

[फा. सं. एल -14014/251/2022-जीपी-II(ई-45398)]

एम. आर. नाज़मी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLIUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

S.O. 944(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District : Lakhimpur				State: Assam		
Circle	Mauza	Village	Dag No.	Area		
				Hec.	Arc	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
North Lakhimpur	Telahi	1 No. Mudoibill	152	00	12	66
			153	00	12	23
			160	00	01	22
			87	00	45	62
			161	00	16	99
			88	00	02	16
			41	00	03	36
			38	00	00	36
			36	00	36	58
			37	00	09	63
			64	00	19	97
			56	00	25	79
			84	00	01	43
			75	00	10	05
			78	00	01	56
			74	00	01	72
			65	00	00	41
			55	00	12	16
			57	00	06	90
			59	00	09	49
			63	00	02	87
			62	00	03	59
			61	00	05	54
			60	00	16	84
			7	00	06	88
			39	00	03	06
			45	00	00	10

[F. No. L-14014/251/2022-GP-II(E-45398)]

M. R. NAZMI, Under Secy.